श्री विशाल राज भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2025 को अपराह्न 05:00 बजे से आयोजित एवं सम्मपन्न जिला गुणवता यकीन समिति/DISC के बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति अलग से संधारित।

अध्यक्ष महोदय के संबोधन के साथ बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

1. उपाधीक्षक सदर अस्पताल किशनगंज के पत्रांक 1417 दिनांक 28.10.24 के द्वारा सुचित किया गया था कि श्रीमति तुसी घोष, पति उज्जवल कुमार मोदक, उम्र 28 डांगी बस्ती जिला किशनगंज का दिनांक 07.12.22 को सदर अस्पताल में बंध्याकरण किया गया था। तत्पश्चात 18.09.24 को गर्भवती होने की पुष्टि हुई जिसका जाँच प्रतिवेदन आवेदन के साथ उपलब्ध कराया गया साथ ही लाभार्थी के द्वारा 28.10.24 को विफल बंध्याकरण की सूचना उपलब्ध करायी गई। इसकी जाँच विवरणी निर्धारित प्रपत्र में DISC के सदस्यों द्वारा किया गया है। जिसमें Family Planning Indemnity Scheme अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के योग्य पाया गया।

2. उपाधीक्षक सदर अस्पताल किशनगंज के पत्रांक 1418 दिनांक 28.10.24 के द्वारा सुचित किया गया था कि श्रीमति निशा आरा, पति तनवीर आलम,उम्र 25 चुड़ीपट्टी कागजीया बस्ती जिला किशनगंज का दिनांक 12.05.23 को सदर अस्पताल में बंध्याकरण किया गया था। तत् पश्चात 06.06.23 को गर्भवती होने की पुष्टि हुई जिसका जाँच प्रतिवेदन आवेदन के साथ उपलब्ध कराया गया साथ ही लाभार्थी के द्वारा 29.06.24 को विफल बंध्याकरण की सूचना उपलब्ध करायी गई। इसकी जाँच विवरणी निर्धारित प्रपत्र में DISC के सदस्यों द्वारा किया गया है। जिसमें Family Planning Indemnity Scheme अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के योग्य नही पाया गया। क्योंकि बंध्याकरण के पूर्व से गर्भवती होने की पुष्टि इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच रिपोर्ट में पाया गया तथा गर्भ धारण की पूष्टि के तिथि के एक वर्ष पश्चात आवेदन समर्पित किया गया।

3. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगंज के पत्रांक 444 दिनांक 04.09.24 एवं पत्रांक 247 दिनांक 19.05.25 के द्वारा सुचित किया गया है कि श्रीमति चाँदतारा खातुन,पति इमाजउददीन,उम्र 33 बहराकोला गाछपारा जिला किशनगंज का दिनांक 26.08.19 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगंज में बंध्याकरण किया गया था। तत पश्चात लाभार्थी के द्वारा दिनांक 03.09.24 को आवेदन समर्पित कर पुनः गर्भवती होने की सुचना उपलब्ध कराया गया। आवेदन के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ की लाभार्थी का दिनांक 15.09.23 को गर्भ धारण की पूष्टि तथा 06.02.24 को प्रसव हुआ है। इसकी जाँच विवरणी निर्धारित प्रपत्र में DISC के सदस्यों द्वारा किया गया है। विभागीय निदेश के आलोक में गर्भ धारण की पूष्टि के 90 दिनों के अन्दर ही क्षतिपूर्ती राशि हेतु आवेदन समर्पित किया जाना है जबकी लाभार्थी के द्वारा लगभग 1 वर्ष पश्चात सूचना उपलब्ध कराये जाने के कारण Family Planning Indemnity Scheme अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के योग्य नहीं पाया गया।

उपरोक्त निर्णय के साथ बैठक की कार्रवाई सधन्यवाद समाप्त की गई।

६०४

ज्ञापांक: ९९१ दिनांक: 13.10.25

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज।

प्रतिलिपिः संबंधित लाभार्थी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः उपाधीक्षक सदर अस्पताल एवं प्र0 चि0 पदा0 किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सिविल सर्जन, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/25

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज।